**कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश,**
**सतपुड़ा भवन, भोपाल**

क्रमांक 415 / आउशि / अका0प्र0 / 2011 भोपाल, दिनांक–10.10.2011

प्रति,

प्राचार्य
समस्त शास0 महाविद्यालय,
म0प्र0

**विषयः– स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार बाबात**
सन्दर्भ–इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 183 / आउशि / 2011 भोपाल दि0 06.9.2011

---000---

उपर्युक्त विषयांकित सन्दर्भ का संज्ञान लें । इस विषय में म0प्र0 शासन राजपत्र द्वारा संशोधन जारी किया गया है । अतः **स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार** हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 183 / आउशि / 2011 भोपाल दि0 06.9.2011 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के स्थान पर संलग्न राजपत्र दिनांक 08.06.2011 लागू होगा ।

इसके अनुसार प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में समस्त प्राचार्यों, शिक्षकों, अध्ययनरत विभिन्न संकाय के विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान को सराहे जाने एवं प्रोत्साहित करने के लिये म0प्र0 शासन द्वारा **स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार** योजना प्रारम्भ की गयी है । सत्र 2011–12 के लिये पुरस्कार हेतु आवेदन दिनांक 31.10.2011 तक आमंत्रित किये जा रहे हैं । संशोधित नियमों के लिये म0प्र0 शासन का राजपत्र असाधारण दिनांक 08.06.11 अवलोकनार्थ संलग्न है। पुरस्कार के लिये शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों को अग्रेषित करते समय प्राचार्य द्वारा इस बात का उल्लेख किया जाय कि आवेदक शिक्षक ने **एम्बेसेडर प्रोफेसर** के चयन हेतु आवेदन किया है अथवा नहीं ।

**संलग्न–राजपत्र दिनांक 08.06.2011**

(डॉ0 वी.एस. निरंजन)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, म0प्र0